महत्वपूर्ण एवं खास

तीन माह के जुड़वा बच्चों को चढ़ा दी एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज बाटल

रायगढ़। जिले में हर बार मानवीय पेशे से जुड़े संस्थान हॉस्पिटल में बदइंतजामी का आलम तो रहता है वही अब यह हाल निजी अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जिसमें एक बार फिर से जेएमजे मिशनरीज हॉस्पिटल विवादों के घेरे में आ गया है। जहां साढ़े तीन माह के दो मासूम बच्चों को इलाज के दौरान एक्सपायरी ग्लूकोज बाटल चढ़ाने का मामला सामने आया है। अस्पताल स्टाफ की इस कृत्य से बच्चों की हालत गंभीर है। वही रविवार एवं राखी पर्व होने के कारण जेएमजे हस्पिटल प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था।

इस सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार विजय चौहान (36) निवासी राजीव गांधी नगर रायगढ़ के रहने वाले हैं। जिन्होंने अपने जुड़वा बच्चों को इलाज के लिए पहाड़ मंदिर रोड स्थित जेएमजे हॉस्पिटल (मिशन) में शनिवार शाम को भर्ती करवाया गया था। दोनों बच्चों को सर्दी, खांसी व हल्का बुखार था वही सीने में कफ जमने के कारण बच्चे दूध नही पी पा रहे थे।जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करने पर ग्लूकोज का बाटल चढ़ाया गया। बाटल चढ़ाने के पश्चात बच्चों के हालत और बिगड़ने लगा। जिससे उनके परिजनों को दवाइयों पर शक हुआ, चेक करने के पश्चात उन्होंने पाया कि जिस ग्लूकोस का बाटल बच्चों को चढ़ाया गया था वह तीन माह पहले एक्सपायरी हो चुका था।

इसे देख परिजनों में खलबली मच गई जहां देखते ही देखते रिश्तेदार भी मौके पर गई। जहा काफी हंगमा होने लगा। आलम यह रहा मौके पर चक्रधर नगर पुलिस भी पहुच गई। फ़िलहाल पीड़ितों की शिकायत के बाद एवं अस्पताल से दूसरे अस्पताल बच्चे को ले जाने के बाद मामला शांत हुआ।

महिला सशक्तीकरण के इस दौर में रसूखदारों के जुल्म से हलाकान एक असहाय महिला

रायगढ़। समरथ को नहीं दोष गोसाई'' सदियों पहले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों को चारितार्थ रूप में आज भी कहीं भी कभी भी देखा जा सकता है, ताकतवर और रसूखदार लोग देश के कानून-कायदों को ठेंगा दिखाते हुए अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं लेकिन कानून उन्हें दोषी नहीं मानता।

रायगढ़ शहर के गद्दी चौक में रहने वाली एक विधवा ब्राम्हण महिला श्रीमती संतोष शर्मा और उसका पूरा परिवार कुछ रसूखदार लोगों के द्वारा नियम विरूद्ध भवन निर्माण के कारण पिछले कई वर्षो से खासतौर पर बरसात के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करता आ रहा है। श्रीमती संतोष शर्मा का पुस्तैनी मकान गद्दी चौक में है, कुछ साल पहले संतोष शर्मा के मकान के ऐन बाजू में कुछ संपन्न लोगों ने एक बहुमंजिला मकान बनाने का काम शुरू किया तभी जब उन्होंने संतोष शर्मा के मकान के दीवाल से सटा कर अपने इमारत की दीवाल खड़ी करने लगे तो संतोष ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी नियमों में भी दो भवनों के बीच करीब तीन फिट जगह छोडने का नियम है तब भवन निर्माताओं ने श्रीमती संतोष की एक नहीं सुनी और तकरीबन दादागिरी के अंदाज में अपने इमारत की दीवाल खड़ी कर दी।

श्रीमती संतोष ने इस बात की शिकायत कलेक्टर, एसपी और निगम के अधिकारियों से की लेकिन वहीं समरथ को नहीं दोष गोसाई वाली बात हुई, भवन निर्माताओं के खिलाफ उनमें से किसी भी अधिकारी ने कार्यवाही करने की जहमत नहीं उठाई। नतीजे में बरसात में इमारत के दीवाल से सिपेज होने वाला पानी श्रीमती संतोष के घर के बेडरूम और कीचन के भीतर भर जाता है जिससे पूरे परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

व्याख्याता के मकान से चोरी का आरोपी पकड़ा गया

रायगढ़ । व्याख्याता के सुने मकान से सोने-चांदी के गहनों को चोरी के आरोपी को चक्रधर नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पालीटेक्निक कॉलेज में पदस्थ व्याख्याता पारिवारिक कार्य से शहर से बाहर थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने मकान में में धावा बोलकर। अलमारी का ताला तोड़ते हुए सोने की चैन, अंगूठी, कान की बाली के साथ नगदी पार कर दिया था। व्याख्याता छुट्टी से लौटकर आया तो घर के अंदर का नजारा देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की तफ्तीश में चक्रधर नगर पुलिस जुटी थी। इसी दौरान मुन्ना शर्मा पिता फत्तेलाल शर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी नगर निगम कॉलोनी सोने की चैन को बेचने ज्वेलरी दुकान बेचने गया था ।जिसे ज्वेलर्स दुकानदार ने मुन्ना शर्मा हरकत को देख संदिग्ध प्रतीत हुआ। जिस पर थाने में सूचना दी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेते हुए पूछताछ की। पहले वह गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश में लगा रहा। जब पुलिस ने सख्ती बरती तो वह अपराध कबूल लिया। फिलहाल आरोपी पर मामला दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी चल रही है।

दोस्त पर टांगी से हमला कर उतारा मौत के घाट, पांच साल की कैद

रायगढ़। दो अधेड़ दोस्त ने एक साथ शराब पीकर आपस मे किसी बात पर कहा सुनी करने लगे यह कहा सुनी देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया ।जिमसें दोस्त ने अपने साथी पर टांगी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल साथी की रिपोर्ट पर कापू पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जहां आरोपी साथी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा मिली है।

- महिला आयोग ने भी लिया है संज्ञान
- सामाजिक न्याय संघ का एक और सराहनीय कार्य
- अधिकार से न्याय की मुहीम का एक और आयाम
- रायगढ़ पुलिस की लचर कार्यवाही से असंतुष्ट होकर भेजा गया था मामला

न्यायसाक्षी की खबर का असर

आदिवासी समाज की विधवा महिला को मारपीट करने गंदी-गंदी गाली देकर प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस मुख्यालय ने लिया संज्ञान

न्याय साक्षी/रायगढ़।

सामाजिक न्याय संघ को प्रदत्त अपने आवेदन में जानकी सिदार ने कहा कि, मैं ''जानकी सिदार'' जौ.जे. स्व. प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा, कोतरा रोड, रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग., मो.नं. 81036XXXXX, की रहने वाली हूँ। कहा कि, मैं आदिवासी समाज से आने वाली महिला हूं, और मैं रायगढ़ में कार्यरत हूं। दिनांक 06/02/2018 को सुबह 7.00 बजे के लगभग, संतोष के घर पूजा का पानी लेने जा रही थीं, तभी श्रीमती दुर्गा देवांगन मुझे देखते ही साली विधवा, आदिवासी, कलमुही, सुबह-सुबह इसका मुँह देख लिया, कहकर गाली-गलौज करने लगी। इसके बाद उसका पति महेश देवांगन भी वहां आ गया और वो भी मुझे जातिगत गाली देकर मार-पीट करने लगा, हो-हल्ला सुनकर और मेरे बचाओ-बचाओ कर आवाज देने पर मेरी माता शगुनमति बीच-बचाव करने आई, तो महेश देवांगन बोला कि ''इधर मत आ बुढिया नहीं तो एक हाथ पड़ेगा तो एक ही बार में पार हो जाएगी'', जिससे मेरी माता डर गई, और दोनो महेश एवं दुर्गा देवांगन ने मेरे साथ सार्वजनिक रुप से काफी मार-पीट की और मुझे सार्वजनिक रुप से बेईज्जत भी किया गया, जिससे मैं मानसिक रुप से प्रताड़ित हुई और समाज में बेईज्जत भी हुई। मैं सुहब-सुबह नाईटी में थीं, इस मार-पीट में महेश देवांगन द्वारा उसे भी खींचा गया, जिससे कि मेरी नाईटी फट गई, जो कि आज तक मेरे पास है, जिसे जांच के समय मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

अपने आवेदन में कहा कि, महेश देवांगन एवं दुर्गा देवांगन नहीं चाहते हैं कि मैं वहॉ रहूं, क्योकि पूर्व में उनके साथ मेरा जमीन सम्बंधी विवाद था, उनके द्वारा मेरी जमीन में कब्जा किया गया था, जो कि मेरे द्वारा आपत्ति किए जाने पर उनको छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वे दोनों लगातार मुझसे खुन्नस रखतें हैं और मुझे लगातार जातिगत गाली-गलौज कर नीचा दिखाने का कार्य कर प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि जहां मैं निवासरत् हूँ , वो मेरा मकान है, जो जमीन दबाई गई थी, वो भी मेरी है, और मैं विधवा महिला वहां अपने बच्चों के साथ निवास करती हूं।

कोई कार्यवाही नहीं की रायगढ़ पुलिस ने

उक्त घटना के बाद मैं, दिनांक 06/02/2018 को कोतवाली थाना, रायगढ़ गई, जहां ए.एस.आई. कमल राजपूत ने मुझे भगा दिया कहा कि - आदिवासी लोग केवल फंसाना जानते हो, चलो भगो यहां से, क्यो आते हो थाना, मार खा लो थाना मत आना, जिसके बाद भी मैं वहां काफी देर खड़ी रही, फिर मैंने दूसरे एक पुलिस वाले से पावती ली, जो कि संलग्न कर आपको पूर्व के आवेदन दिनॉक 09/04/2018 के साथ भेजा गया है। अपनी पीड़ा को बताने के लिए इसके बाद मैं एस.पी. रायगढ़ के पास गई, जहां कहा गया कि कार्यवाही कराता हूं, इससे सम्बंधित कॉपी भी आपके समक्ष पूर्व के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। आवेदन में लेख है कि, इसके बाद दिनांक 07/02/2018 को अ.जा.क. थाना गई, जहां तत्कालिक डी.एस.पी. वीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि कोतरा रोड थाना में भुनेश्वरी पैंकरा के पास जाओ और बयान दे दो, तब मैं शाम को उनके पास गई, जहॉ मेंरा बयान हुआ, जिसे भुनेश्वरी पैंकरा के द्वारा अ.जा.क. थाना में जमा किया गया, इसके लगभग एक हसे बाद शिवरात्रि दिनॉक 13/02/2018 को थाना में गवाह वृंदादास महंत, डोरीलाल महंत के बयान लिए गए, जिसके बाद से लगातार मुझे रोज थाना बुलाया जाता और मैं दिन-दिन भर वहां बैठी रहती, कोई कार्यवाही डी.एस.पी. वीरेन्द्र शर्मा के द्वारा नहीं की गई। काफी बोले जाने और निवेदन किए जाने के बाद दिनांक 12/03/2018 को पुलिस वाले हमारे मोहल्ले में आए थें, तब एक अन्य गवाह संजय राठौर का भी बयान हुआ और अपराध सदर पाए जाने के बाद भी

जानकी सिदार

पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध सम्बंधी दस्तावेज दिनांक 16/03/2018 को मुझे दे दिया गया, जो कि एक आदिवासी विधवा महिला से अन्याय है, और यह न्यायोचित कार्यवाही नहीं है। पुनः जांच करने हेतु और न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने हेतु उक्त आवेदन मेरे द्वारा आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत किया गया था।

सामाजिक न्याय संघ की सहायता से हुई दुबारा जांच

गौरतलब है कि, उक्त आवेदन पर मुझे एवं मेरे गवाहान् क्र.1 नमिता पटेल एवं क्र. 2 नंदनी निले को कार्यालय नगर पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ से बयान बाबत् लिखित मे नोटिस दिया गया। जिसपर हमारे बयान हुए। मैंने और मेरे गवाहों ने घटना के सम्बंध में जो हुआ, वह बताया, जिस की कॉपी मेरे द्वारा सूचना के अधिकार में प्राप्त की गई है। मेरे बयान के अवलोकन से स्पष्ट है कि, मैने घटना दिनांक 06.02.2018 बताया गया था, जिसे 06.01.2018 लिखा गया है, जो कि पूर्णतः गलत है। इसके साथ ही, मेरे द्वारा, अपने बयान में 03 चश्मदीद् गवाहों के नाम बताए गए थें जिसमें गवाह क्रमांक 01 वृंदादास महंत का नाम बताया गया था, जिसे वृंदावन महंत लिख दिया गया, और गवाह क्रमांक 02 डोरीलाल महंत को गोरीलाल महंत कर दिया गया है, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। इन दो गवाह के अलावा एक अन्य गवाह संजय राठौर का भी नाम मेरे द्वारा अपने बयान में बताया गया था। विदित हो कि ये तीनों गवाह, घटना दिनांक को, घटनास्थल पर थे, लेकिन प्रकरण की जॉच कर रहे, नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा, इन तीनों गवाहों को तलब किया जाकर, कथन नहीं कराया गया, क्यो? यह स्पष्ट तौर पर, पुलिस की लापरवाही को प्रदर्शित करता है और बेहद आपत्तिजनक है। ऐसी स्थिति में उक्त तीनों गवाह के कथन, समक्ष नोटरी 10 रु0 के स्टाम्प पेपर पर, जो कि स्वयं गवाहों ने ही खरीदे हैं, फोटोग्राफ सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि पुलिस के द्वारा एक आदिवासी विधवा महिला के साथ किए जा रहे अत्याचार को प्रकट किए जाने हेतु सक्षम साक्ष्य है। विदित हो कि जिन गवाहों ने घटना दिनॉक को, घटना को स्वयं देखा और सुना है, को छोड़कर मेरे आवेदन के साक्षी एवं जो कि केवल अनुश्रुत साक्षी है, के गवाह के आधार पर प्रकरण पर संज्ञान नहीं लिया जाना, मेरे लिए बेहद कष्टकारक है, प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी की लापरवाही से मैं मानसिक रुप से आहत हूं।

अपने आवेदन में कहा कि, कार्यालय थाना प्रभारी अ.जा.क., जिला रायगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/ था.प्र./अजाक/ राय./03/2018 दिनॉक 05/06/ 2018 में किए गए इस कथन पर भी मुझे घोर आपत्ति है, उसमें लेख है कि - आवेदिका शिकायत करने की आदी है, तथा आवेदिका द्वारा अपने शिकायत पत्र में दूर के निवासियों को गवाह रखी है, घटनास्थल के पास के किसी भी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाई है आवेदिका के पक्ष में कार्यवाही नहीं होने के कारण पुलिस वालों के विरुद्ध भी शिकायत की है - विदित हो कि घटना दिनांक 06/02/2018 को सुबह 7 बजे लगभग जो उपस्थित थें के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है, अगर दूर का आदमी घटना दिनॉक,, को घटनास्थल पर था, तो उस व्यक्ति को ही गवाह बनाया जावेगा, दूर का गवाह क्या घटना का साक्षी नहीं बनता है? इस तरह के कथन कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पुलिस की लचर कार्यप्रणाली को जाहिर करने के लिए काफी है। जिसपर मेरे द्वारा न्यायोचित एवं समुचित जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। वैसे भी किसी आपराधिक घटना के घटने के बाद न्यायोचित कार्यवाही पुलिस को करनी होती है, जो कि मेरे प्रकरण में नहीं की गई, जिसके कारण मैं लगातार लिखित में अपना पक्ष रख रही हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं पुलिस के कतिपय कर्मचारियों से भी पीड़ित हुई हूँ, इसलिए मैंने,, मेरे प्रकरण में जो पुलिस के से सम्बंधित व्यक्ति है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, को, लिखित में मय शपथ-पत्र जाहिर कर रही हूँ, अ.ज.क. थाना प्रभारी को इस प्रकार के कथन किए जाने पर,, बाद जॉच, तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। पुलिस ने मेरे प्रकरण पर संज्ञान लेना तो दूर गवाहों के बयान तक बदल दिए हैं, जो कि प्रमाणित है।

अपने आवेदन में कहा कि, मेरे द्वारा भेजे गए पूर्व के आवेदन पर की गई उक्त जॉच के सम्बंध में, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो पत्र श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को भेजा गया है, उसकी प्रतिलिपि/ कॉपी मुझे भी प्राप्त हुई है, जिसका क्रमांक पुअ/ राय/ स्टेनो/ शिपु/मनि/ 22-ए/18,जेड/389-ए/2018 है तथा दिनॉक 25/05/2018 है। जिसमें महोदय ने उल्लेख किया है कि, मैने अपने बयान में जॉच के समय बताया कि (देखिए 3 रा पैरा) - आवेदिका जानकार सिदार का कहना है कि दिनॉक 06.01.2018 को सुबह 7.00 बजे पानी लेने गई थीं, जिसे श्रीमती दुर्गा देवांगन द्वारा देखकर साली विधवा आदिवासी कलमुंही टोनही सुबह-सुबह देख लिया कहकर गाली गलौज करने लगी। इसी दौरान दुर्गा देवांगन का पति महेश भी आ गया और मारपीट करने लगा आदि - उक्त में मेरा नाम जानकार लिखा है, जो कि जानकी सिदार होना चाहिए, घटना दिनांक 6.01.2018 लिखा है, जो कि 06.02.2018 होना चाहिए। इन सब से अलग और महत्वपूर्ण कथन ये है कि - एक आदिवासी महिला को साली विधवा कलमुही टोनही कहा गया सार्वजनिक रुप से, मारपीट की गई, जिसमें पुरुष महेश भी शामिल है, जिसे महिला-महिला का विवाद कहा जा रहा है, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, इतना ही नहीं जिसे सुनने वाले घटना स्थल में घटना दिनॉक को उपस्थित लोगों के पुनः बयान नहीं लिए गए, जिसे अब मेरे द्वारा इस आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। पुलिस ने स्वयं निर्णय कर लिया कि जमीन विवाद है, जो कि पूर्णतः अन्याय है। एक आदिवासी महिला को सार्वजनिक रुप से अपशब्द कहकर मारपीट किए जाने की घटना पर पुलिस के द्वारा उचित जांच नहीं कर अपराधियों को बचाया जाना, पुष्ट हो रहा है, जिससे मैं बेहद आहत हूँ, और इस पर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा। जिन पुलिस के अधिकारियों के द्वारा उचित रीति से जॉच नहीं की गई, उनके विरुद्ध भी न्यायोचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

अपने आवेदन में कहा कि, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ के द्वारा, जो पत्र श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर को भेजा गया है, उसमें लेख है कि अ.जा.क. थाना द्वारा 155 जाफौ की कार्यवाही की गई, जबकि इस प्रकार के अपराध हेतु धारा 354/ 34 भा.दं.वि., अंतर्गत धारा 3 (1) (2), 3 (1) (3), 3(1) (10), 3 (1) (11), 3 (1) (15), एवं धारा 4 लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, के तहत् कार्यवाही की जानी चाहिए थीं, जबकि, भा.दं.वि. की धारा 151 के तहत् 107/116 की कार्यवाही की गई, जो कि पुलिस के लचर रवैये को दर्शाता है। इसपर भी न्यायोचित कार्यवाही की जानी चाहिए। आवेदिका ने सामाजिक न्याय संघ से कहा कि, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूँ , और बहुत परेशान हूँ। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

सामाजिक न्याय संघ ने दिया पीड़ित का साथ

जिसपर संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय संघ ने इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राज्यपाल महोदय, चीफ जस्टिस् ऑफ छत्तीसगढ़, मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली, मुख्यमंत्री महोदय, छ.ग. पुलिस महानिदेशक, रायपुर, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर, राज्य महिला आयोग, रायपुर , अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, रायपुर, संजय जायसवाल, सत्र एवं जिला न्यायाधीश, रायगढ़, एस.पी., रायगढ़, डी.एस.पी., अ.जा.क., थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, थाना प्रभारी, थाना अ.जा.क., जिला रायगढ़, छ.ग. को कार्यवाही हेतु भेजा था।

ये हुई कार्यवाही :

सामाजिक न्याय संघ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए जानकी सिदार के आवेदन को कार्यवाही हेतु भेजा, जिस पर रमेश शर्मा के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कराने बाबत् एक आदेश पुलिस महानिदेशक के द्वारा जारी किया गया है जिसका क्रमांक/ पुमु/ अअवि/ जशिनि/ 50/17 है जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा रायपुर ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज को पत्र क्रमांक/पुमु/ महिला शिका/रेंज/ 525/ 2018 द्वारा आदेशित किया है कि रेंज स्तर पर शिकायत पत्र का निराकरण कराकर शिकायतकर्त्ता को सूचित करने का कष्ट करें। इस पत्र को शिकायतकर्त्ता को भी भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान लेने से इस प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद है, और आरोपी को बचाने का प्रयास करने वालों को सबक है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग,छत्तीसगढ़ शासन ने अपने पत्र क्रमांक 3996/अ.ज.जा.आ./ रायपुर दिनांक 14/8/2018 जारी करके भी उक्त मामले में संज्ञान लिया है। पत्र के प्राप्त होने से जानकी सिदार ने न्याय मिलने की उम्मीद पर हर्ष व्यक्त किया है, और सामाजिक न्याय संघ का आभार जताया है।

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिंग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090